न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2846–पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–05–2013 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद, प्रकरण कमांक 6/निगरानी/11–12.

.....

कमलदास आत्मज दीनानाथ कतिया,
निवासी ग्राम रन्हाईकला, तहसील व
जिला हरदा (म0प्र0)

..... आवेदक

विरूद्ध

1–श्रीमती लाडकी बाई पति रामनिवास
निवासी ग्राम रन्हाईकला, तहसील व
जिला हरदा (म0प्र0)
2–शकुनबाई कथित पत्नि लखनलाल
निवासी ग्राम रिजगांव तहसील व
जिला हरदा (म0प्र0)

..... अनावेदकगण

.....

सुश्री नरगिस खान, अभिभाषक–आवेदक
श्री रामनिवास–अनावेदक कमांक 1

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 1/3/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–05–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम रन्हाईकला के कोटवार पद हेतु उभयपक्ष द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 1/अ–56/2010–11 दर्ज कर दिनांक 22–06–2011 को आदेश पारित कर आवेदक को ग्राम कोटवार के पद पर नियुक्त किया गया । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर अनावेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 9–2–2011 को

आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण पुनः कार्यवाही हेतु प्रत्यावर्तित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–5–13 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस तथ्य को अनदेखा किया गया है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् कार्यवाही की जाकर समस्त बिन्दुओं पर विचार करते हुये आवेदक की कोटवार पद पर अस्थायी नियुक्ति की गई है और कोटवार की अस्थायी नियुक्ति का अधिकार संहिता की धारा 230 के अन्तर्गत तहसीलदार को प्रदान किया गया है, अतः कोटवार की अस्थायी नियुक्ति का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं होता है ।

(2) अस्थायी कोटवार की नियुक्ति को अधिकार के रूप में मॉगा नहीं जा सकता है और आवेदक की नियुक्ति में हस्तक्षेप करने का अधिकार अनावेदक कमांक 1 को प्राप्त नहीं है ।

(3) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि अभी स्थायी कोटवार की नियुक्ति की कार्यवाही प्रारंभ नहीं हुई है और तहसीलदार के आदेश में हस्तक्षेप करने के कारण स्थायी कोटवार की नियुक्ति में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है ।

(4) आवेदक कोटवार पद पर नियुक्ति दिनांक से अपनी सेवा अस्थायी कोटवार के रूप में प्रदान कर रहा है और वर्तमान में चुनाव प्रकिया में आवेदक द्वारा कार्य किया गया है ।

(5) अनावेदकगण ग्राम रन्हाईकला के निवासी नहीं होकर अन्य ग्राम में निवास कर रहे हैं ।

(6) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जिन 7 बिन्दुओं पर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है उन पर स्थायी कोटवार की नियुक्ति में विचार किये जाने योग्य है, अस्थायी कोटवार की नियुक्ति में विचार करने की आवश्यकता नहीं है ।

तर्क के समर्थन में 1986 एमपीएलजे 717, 1987 आरएन 208, 2001 आरएन 283, 1973 आरएन 445 एवं 1998 आरएन 289 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

4/ प्रकरण दिनांक 28–12–2015 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1 के अभिभाषक 10 दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु अनावेदक कमांक 1 के अभिभाषक द्वारा आज दिनांक तक लिखित प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । अतः प्रकरण का निराकरण आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है ।

5/ आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक ग्राम रन्हाईकलॉ का पंच है और उसकी पत्नी ग्राम पंचायत में उपसरपंच है, अतः ग्राम पंचायत द्वारा जो सहमति दी गई है वह आवेदक को अनुचित लाभ पहुॅचाने की श्रेणी में आती है और ऐसी ग्राम पंचायत की सहमति के आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक की कोटवार के पद पर नियुक्ति करने में पूर्णतः अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है और अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वह प्रकरण में स्थायी कोटवार की नियुक्ति की कार्यवाही करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–05–2013 स्थिर रखा जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर